सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 27, शनिवार, शाके 1944-मार्च 18, 2023 *Phalguna 27, Saturday , Saka 1944- March 18, 2023*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 16, 2023

जी.एस.आर.144 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, इससे संलग्न अनुसूची में यथोल्लिखित विभिन्न सेवा नियमों को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. संशोधन.- (1) इससे संलग्न अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 2 में यथोल्लिखित प्रत्येक सेवा नियमों के सामने स्तंभ संख्यांक 3 में यथोल्लिखित नियम के उप-नियम (3),(4) या, यथास्थिति, (5) के, दो से अधिक संतानों वाले व्यक्ति की नियुक्ति के लिए निरर्हता से संबंधित, विद्यमान परन्तुकों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु,-

(i) दो से अधिक संतानों वाला अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक कि उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोतरी नहीं होती है।

(ii) जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है किन्तु पश्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।

(iii) किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो।

(iv) कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं है, उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।

(v) इस उप-नियम के उपबंध किसी विधवा और विच्छिन्न-विवाह महिलाओं की नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।"

(2) इससे संलग्न अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 2 में यथोल्लिखित प्रत्येक सेवा नियमों के सामने स्तंभ संख्यांक 4 में यथोल्लिखित नियम के विद्यमान उपबंध "ऐसे किसी भी व्यक्ति की पदोन्नति पर उस तारीख से, जिसको उसकी पदोन्नति देय हो जाती है, तीन भर्ती वर्षों तक विचार नहीं किया जायेगा, यदि उसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों।" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"ऐसा व्यक्ति, जिसकी पदोन्नति पर वर्ष 2019-20 तक विचार नहीं किया गया था क्योंकि उसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें थीं, की पदोन्नति के लिए उस तारीख से, जिसको उसकी पदोन्नति देय हो गयी थी, विचार किया जायेगा और उसका वेतन ऐसी पदोन्नति पर, उस वेतन पर जिसे वह आहरित करता/करती पर पुनः नियत किया जायेगा, किंतु कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा और यदि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों, और उसकी पदोन्नति वर्ष 2020-21 में या उसके पश्चात् देय हो जाती है, की पदोन्नति पर उस तारीख से, जिसको उसकी पदोन्नति देय हो जाती है, विचार किया जायेगा और उसका वेतन पदोन्नति संबंधी पद के लिए नियत किया जायेगा किंतु वह तीन पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु, काल्पनिक रूप से हकदार होगा/होगी और ऐसे तीन वर्षों के पश्चात् उसे ऐसी वेतनवृद्धियों के वास्तविक फायदे अनुज्ञेय होंगे, तथापि, ऐसी काल्पनिक वेतनवृद्धियों के लिए कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा। इस उप-नियम के उपबंधों के अनुसार पदोन्नत व्यक्ति की पश्चात्वर्ती पदोन्नतियों पर कोई पारिणामिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले से ही पदोन्नत व्यक्ति को, इस उप-नियम के क्रियान्वयन के कारण प्रतिवर्तित नहीं किया जायेगा:"

अनुसूची

क्र.सं.	सेवा नियमों का नाम	विद्यमान नियम का संख्यांक	विद्यमान नियम का संख्यांक
1	2	3	4
1.	राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954	25ख	नियम 28ख का उप-नियम(4)
2.	राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954	25ग	नियम 28क का उप-नियम(4)

3.	राजस्थान लेखा सेवा नियम, 1954	25ख	नियम 28क का उप-नियम(4)
4.	राजस्थान रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प निरीक्षक सेवा नियम, 1954	21क	नियम 24क का उप-नियम(4)
5.	राजस्थान अभियंता सेवा (विद्युत एवं यांत्रिक शाखा) नियम, 1954	21क	नियम 24क का उप-नियम(4)
6.	राजस्थान अभियंता और अनुसंधान अधिकारी सेवा (सिंचाई शाखा) नियम, 1954	21क	नियम 24क का उप-नियम(4)
7.	राजस्थान अभियंता सेवा (भवन एवं पथ शाखा) नियम, 1954	21क	नियम 24क का उप-नियम(4)
8.	राजस्थान सहकारी सेवा नियम, 1954	21क	नियम 24ख का उप-नियम(4)
9.	राजस्थान सचिवालय सेवा नियम, 1954	-	नियम 11ख का उप-नियम(4)
10	राजस्थान मोटर गैराज सेवा नियम, 1958	20क	नियम 21कक का उप-नियम(4)
11.	राजस्थान श्रम एवं कल्याण सेवा नियम, 1958	20क	नियम 23क का उप-नियम(4)
12.	राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा नियम, 1958	15ख	नियम 25क का उप-नियम(4)
13.	राजस्थान फैक्टरी और बायलर निरीक्षक और फैक्टरी (रसायन) निरीक्षक सेवा नियम, 1958	21क	नियम 23क का उप-नियम(4)
14.	राजस्थान कारागार सेवा नियम, 1959	20क	नियम 23क का उप-नियम(4)
15.	राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा नियम, 1959	21क	नियम 24क का उप-नियम(4)
16.	राजस्थान राजकीय मुद्रणालय सेवा नियम, 1960	21क	नियम 25क का उप-नियम(4)
17.	राजस्थान नियोजन कार्यालय सेवा नियम, 1960	20क	नियम 24क का उप-नियम(4)
18.	राजस्थान खान एवं भू-गर्भ सेवा नियम, 1960	20क	नियम 23क का उप-नियम(4)

19.	राजस्थान कृषि सेवा नियम, 1960	22क	नियम 25क का उप-नियम(4)
20.	राजस्थान उद्योग सेवा नियम, 1960	20क	नियम 23क का उप-नियम(4)
21.	राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा नियम, 1960	21क	नियम 24क का उप-नियम(4)
22.	राजस्थान उद्यान कृषि सेवा नियम, 1962	20	नियम 23क का उप-नियम(4)
23.	राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962	21	नियम 24क का उप-नियम(4)
24.	राजस्थान वन सेवा नियम, 1962	25क	नियम 31क का उप-नियम(4)
25.	राजस्थान पशुपालन सेवा नियम, 1963	21	नियम 23क का उप-नियम(4)
26.	राजस्थान समाज कल्याण सेवा नियम, 1963	21	नियम 24क का उप-नियम(4)
27.	राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963	21	नियम 24क का उप-नियम(4)
28.	राजस्थान जनसंपर्क सेवा नियम, 1966	21	नियम 25 का उप-नियम(4)
29.	राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम, 1966	21	नियम 25 का उप-नियम(4)
30.	राजस्थान प्राच्यविद्या अनुसंधान संस्थान सेवा नियम, 1967	21	नियम 25 का उप-नियम(4)
31.	राजस्थान आबकारी (निवारक अधिकारी) सेवा नियम, 1967	-	नियम 17 का उप-नियम(4)
32.	राजस्थान अभियंता सेवा और सहबद्ध पद (जन स्वास्थ्य शाखा) नियम, 1968	21	नियम 25 का उप-नियम(4)
33.	राजस्थान भू-जल सेवा नियम, 1969	21	नियम 25 का उप-नियम(4)
34.	राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियम, 1971	15क	नियम 18 का उप-

			नियम(4)
35.	राजस्थान स्थापत्य सेवा लो.नि.वि. (भ. एवं स.) नियम, 1973	21	नियम 25 का उप-नियम(4)
36.	राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 1973	21	नियम 25 का उप-नियम(4)
37.	राजस्थान आबकारी सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1974	-	नियम 11क का उप-नियम(4)
38.	राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण सेवा नियम, 1975	21	नियम 24क का उप-नियम(4)
39.	राजस्थान पुरालेख सेवा नियम, 1975	21	नियम 24क का उप-नियम(4)
40.	राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा (विद्युत निरीक्षणालय शाखा) नियम, 1975	21	नियम 24क का उप-नियम(4)
41.	राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद सेवा नियम, 1976	21	नियम 23क का उप-नियम(4)
42.	राजस्थान पर्यटन सेवा नियम, 1976	21	नियम 23क का उप-नियम(4)
43.	राजस्थान होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा सेवा नियम, 1976	21	नियम 23क का उप-नियम(4)
44.	राजस्थान अभियोजन सेवा नियम, 1978	-	नियम 9 का उप-नियम(4)
45.	राजस्थान मूल्यांकन सेवा नियम, 1979	22	नियम 24 का उप-नियम(4)
46.	राजस्थान न्याय संबंधी विज्ञान सेवा नियम, 1979	22	नियम 24 का उप-नियम(4)
47.	राजस्थान राज्य उपक्रम सेवा नियम, 1979	22	नियम 24 का उप-नियम(4)
48.	राजस्थान परिवहन सेवा नियम, 1979	22	नियम 24 का उप-नियम(4)
49.	राजस्थान पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक	-	नियम 9 का उप-

	प्रशिक्षण सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1980		नियम(4)
50.	राजस्थान जिला गजेटियर्स सेवा नियम, 1980	22	नियम 24 का उप-नियम(4)
51.	राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा नियम, 1986	22	नियम 24 का उप-नियम(4)
52.	राजस्थान शिक्षा सेवा(महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986	21	नियम 26 का उप-नियम(1क)
53.	राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान सेवा नियम, 1990	-	नियम 9 का उप-नियम(4)
54.	राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम, 2007	24	नियम 27 का उप-नियम(4)
55.	राजस्थान ग्रामीण आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 2008	19	-
56.	राजस्थान तकनीकी शिक्षा (अभियांत्रिकी) सेवा नियम, 2010	26	नियम 29 का उप-नियम(4)
57.	राजस्थान तकनीकी शिक्षा (गैर-अभियांत्रिकी) सेवा नियम, 2010	25	नियम 28 का उप-नियम(4)
58.	राजस्थान नागरिक उड्डयन राज्य सेवा नियम, 2013	26	नियम 28 का उप-नियम(4)
59.	राजस्थान संस्कृत (महाविद्यालय शाखा) सेवा नियम, 2022	27	नियम 33 का उप-नियम(4)
60.	राजस्थान विधिक राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम,1981	26	नियम 28 का उप-नियम(4)
61.	राजस्थान विधि रचना राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1981	26	नियम 28 का उप-नियम(4)
62.	राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992	27	नियम 30 का उप-नियम(4)
63.	राजस्थान सचिवालय पुस्तकालयाध्यक्ष राज्य एवं अधीनस्थ नियम, 1997	23	नियम 26 का उप-नियम(4)
64.	राजस्थान ग्रामीण विकास और पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम,1998	25	नियम 28 का उप-नियम(4)

65.	राजस्थान समेकित बाल विकास (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम,1998	25	नियम 28 का उप-नियम(4)
66.	राजस्थान देवस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम,2000	25	नियम 28 का उप-नियम(4)
67.	राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 2001	25	नियम 28 का उप-नियम(3)(II)
68.	राजस्थान पेट्रोलियम राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 2012	27	नियम 30 का उप-नियम(4)
69.	राजस्थान मत्स्य राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 2012	27	नियम 30 का उप-नियम(4)
70.	राजस्थान भाषा एवं पुस्तकालय (राज्य और अधीनस्थ) सेवा नियम, 2013	27	नियम 30 का उप-नियम(4)
71.	राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ नियम, 2015	28	नियम 31 का उप-नियम(4)
72.	राजस्थान आबकारी प्रयोगशाला (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2015	27	नियम 30 का उप-नियम(4)
73.	राजस्थान महिला अधिकारिता (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2017	29	नियम 32 का उप-नियम(4)
74.	राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2017	30	नियम 33 का उप-नियम(4)
75.	राजस्थान जैव-ईंधन (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2019	28	नियम 31 का उप-नियम(4)
76.	राजस्थान विश्राम भवन (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2019	29	नियम 32 का उप-नियम(4)
77.	राजस्थान विज्ञान एवं तकनीकी (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021	29	नियम 32 का उप-नियम(4)
78.	राजस्थान शिक्षा(राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021	29	नियम 32 का उप-नियम(4)
79.	राजस्थान अधीनस्थ सहकारी सेवा (श्रेणी-I) नियम, 1955	24क	नियम 27क का उप-नियम(4)
80.	राजस्थान अधीनस्थ सहकारी सेवा (श्रेणी-II)	23क	-

	नियम, 1955		
81.	राजस्थान तहसीलदार सेवा नियम, 1956	24घ	नियम 28क का उप-नियम(4)
82.	राजस्थान खान एवं भू-गर्भ अधीनस्थ सेवा नियम, 1960	21	नियम 24क का उप-नियम(4)
83.	राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963	25	नियम 28क का उप-नियम(4)
84.	राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम, 1963	21	नियम 24क का उप-नियम(4)
85.	राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963	21	नियम 24क का उप-नियम(4)
86.	राजस्थान उद्यान-कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1965	21	नियम 24क का उप-नियम(4)
87.	राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965	21	नियम 24क का उप-नियम(4)
88.	राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1966	21	नियम 25 का उप-नियम(4)
89.	राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम, 1966	21	नियम 25 का उप-नियम(4)
90.	राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (जन स्वास्थय शाखा) नियम, 1967	21	नियम 25 का उप-नियम(4)
91.	राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (सिंचाई शाखा) नियम, 1967	21	नियम 25 का उप-नियम(4)
92.	राजस्थान पुरालेख अधीनस्थ सेवा नियम, 1968	21	नियम 25 का उप-नियम(4)
93.	राजस्थान सांख्यिकी अधीनस्थ सेवा नियम, 1971	21	नियम 25 का उप-नियम(4)
94.	राजस्थान राजकीय मुद्रणालय अधीनस्थ सेवा नियम, 1973	21	नियम 24क का उप-नियम(4)
95.	राजस्थान तकनीकी शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1973	21	नियम 24क का उप-नियम(4)
96.	राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी (भवन एवं पथ	21	नियम 24क का उप-

	शाखा) सेवा नियम, 1973		नियम(4)
97.	राजस्थान भू-जल अधीनस्थ सेवा नियम, 1973	21	नियम 24क का उप-नियम(4)
98.	राजस्थान नगर नियोजन अधीनस्थ सेवा नियम, 1974	21	नियम 24क का उप-नियम(4)
99.	राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा नियम, 1974	21	नियम 24क का उप-नियम(4)
100.	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1974	21	नियम 24क का उप-नियम(4)
101.	राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ सेवा नियम, 1975	21	नियम 24क का उप-नियम(4)
102.	राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1975	21	नियम 24क का उप-नियम(4)
103.	राजस्थान जनसंपर्क अधीनस्थ सेवा नियम, 1975	21	नियम 24क का उप-नियम(4)
104.	राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा नियम, 1975	25	नियम 28क का उप-नियम(4)
105.	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (निवारक शाखा) नियम, 1976	21	नियम 23क का उप-नियम(4)
106.	राजस्थान राज्य उपक्रम अधीनस्थ सेवा नियम, 1976	21	नियम 23क का उप-नियम(4)
107.	राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम, 1977	21	नियम 23क का उप-नियम(4)
108.	राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978	22	नियम 24 का उप-नियम(4)
109.	राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम, 1978	17	-
110.	राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा नियम, 1979	22	नियम 24 का उप-नियम(4)
111.	राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1979	22	नियम 24 का उप-नियम(4)
112.	राजस्थान न्याय संबंधी विज्ञान अधीनस्थ सेवा नियम, 1980	22	नियम 24 का उप-नियम(4)

113.	राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989	24	नियम 26 का उप-नियम(1क)
114.	राजस्थान जेल अधीनस्थ सेवा नियम, 1998	33	नियम 35 का उप-नियम(1क)
115.	राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2001	32	नियम 35 का उप-नियम(4)
116.	राजस्थान ग्रामीण आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 2008	19	नियम 29 का उप-नियम(4)
117.	राजस्थान मदरसा शिक्षा सहायक अधीनस्थ सेवा नियम, 2013	27	-
118.	राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014	26	नियम 24 का उप-नियम(4)
119.	राजस्थान विद्यालय सहायक अधीनस्थ सेवा नियम, 2015	27	-
120.	राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (विद्युत निरीक्षणालय शाखा) नियम, 2020	29	-
121.	राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015	33	नियम 37 का उप-नियम(4)
122.	राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा नियम, 2021	31	नियम 33 का उप-नियम(4)
123.	राजस्थान सचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1970	15	नियम 26 का उप-नियम(4)
124.	राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999	31	नियम 33 का उप-नियम(4)
125.	राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1999	19	नियम 26 का उप-नियम(4)

[सं. एफ. 7(1)कार्मिक/क-2/95/पार्ट]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

रामनिवास मेहता,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
A-Gr. II
NOTIFICATION
Jaipur, March 16, 2023

G.S.R.144 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Various Service Rules as mentioned in the Schedule appended hereto, namely:-

1**. Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Rajasthan Various Service (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment.- (1) The existing provisos to sub-rule (3), (4) or (5), as the case may be, relating to Disqualification for appointment of person having more than two children of rule as mentioned in column number 3 against each of the service rules as mentioned in column number 2 of the Schedule appended hereto shall be substituted by the following, namely:-

"Provided that,-

(i) the candidate having more than two children shall not be deemed to be disqualified for appointment so long as the number of children he/she has on 1st June, 2002, does not increase.

(ii) where a candidate has only one child from earlier delivery but more than one child are born out of a single subsequent delivery, the children so born shall be deemed to be one entity while counting the total number of children.

(iii) while counting the total number of children of a candidate, the child born from earlier delivery and having disability shall not be counted.

(iv) any candidate who performed remarriage which is not against any law and before such the remarriage he is not disqualified for appointment under this sub-rule, he shall not be disqualified if any child is born out of single delivery from such remarriage.

(v) the provisions of this sub-rule shall not be applicable to the appointment of a widow and divorcee women."

(2) The existing provision of rule as mentioned in column number 4 against each of the service rules as mentioned in column number 2 of the Schedule appended hereto:-

"No person shall be considered for promotion for three recruitment years from the date on which his/her promotion becomes due, if he/she has more than two children on or after 1st June, 2002."

shall be substituted by the following, namely:-

"The person who had not been considered for promotion upto the year 2019-2020 because he/she had more than two children on or after 1st June 2002 shall be considered for promotion from the date on which his/her promotion was due and on such promotion his/her pay shall be refixed at the pay which he/she would have drawn but no arrear shall be paid and if any person who has more than two children on or after 1st June ,2002 and his promotion becomes due in the year 2020-2021 or thereafter shall be considered for promotion from the date on which his/her promotion becomes due and his/her pay shall be fixed for the promotional post, but he /she shall be entitled for annual increment notionally for three subsequent years and after such three years he/she shall be allowed actual benefits of such increments, however no arrears shall be paid for such notional increments. There shall be no consequential effect on subsequent promotions of the person promoted as per provisions of this sub-rule. The person already promoted shall not be reverted due to implementation of this sub-rule:"

SCHEDULE

S. No.	Name of Service Rules	Number of existing rules	Number of existing rules
1	2	3	4
1.	The Rajasthan Administrative Service Rules, 1954	25B	sub-rule (4) of rule 28B
2.	The Rajasthan Police Service Rules, 1954	25C	sub-rule (4) of rule 28A
3.	The Rajasthan Accounts Service Rules, 1954	25B	sub-rule (4) of rule 28A
4.	The Rajasthan Inspectors of Registration and Stamps Service Rules, 1954	21A	sub-rule (4) of rule 24A
5.	The Rajasthan Service of Engineers (Electrical and Mechanical Branch) Rules, 1954	21A	sub-rule (4) of rule 24A
6.	The Rajasthan Service of Engineers and Research Officers (Irrigation Branch) Rules, 1954	21A	sub-rule (4) of rule 24A
7.	The Rajasthan Service of Engineers (B&R Branch) Rules, 1954	21A	sub-rule (4) of rule 24A
8.	The Rajasthan Cooperative Service Rules, 1954	21A	sub-rule (4) of rule 24B
9.	The Rajasthan Secretariat Service Rules, 1954	-	sub-rule (4) of rule 11B
10.	The Rajasthan Motor Garage Service Rules, 1958	20A	sub-rule (4) of rule 21AA
11.	The Rajasthan Labour and Welfare Service Rules, 1958	20A	sub-rule (4) of rule 23A
12.	The Rajasthan Economics and Statistical Service Rules,	15B	sub-rule (4)

	1958		of rule 25A
13.	The Rajasthan Service of Inspectors of Factories and Boilers and Inspector of Factories (Chemical) Rules, 1958	21A	sub-rule (4) of rule 23A
14.	The Rajasthan Jails Service Rules, 1959	20A	sub-rule (4) of rule 23A
15.	The Rajasthan State Insurance and Provident Fund Service Rules, 1959	21A	sub-rule (4) of rule 24A
16.	The Rajasthan Government Presses Service Rules, 1960	21A	sub-rule (4) of rule 25A
17.	The Rajasthan Employment Exchanges Service Rules, 1960	20A	sub-rule (4) of rule 24A
18.	The Rajasthan Mines and Geological Service Rules, 1960	20A	sub-rule (4) of rule 23A
19.	The Rajasthan Agriculture Service Rules, 1960	22A	sub-rule (4) of rule 25A
20.	The Rajasthan Industries Service Rules, 1960	20A	sub-rule (4) of rule 23A
21.	The Rajasthan Archaeology & Museums Service Rules, 1960	21A	sub-rule (4) of rule 24A
22.	The Rajasthan Horticulture Service Rules, 1962	20	sub-rule (4) of rule 23A
23.	The Rajasthan Medical Service (Collegiate Branch) Rules, 1962	21	sub-rule (4) of rule 24A
24.	The Rajasthan Forest Service Rules, 1962	25A	sub-rule (4) of rule 31A
25.	The Rajasthan Animal Husbandry Service Rules, 1963	21	sub-rule (4) of rule 23A
26.	The Rajasthan Social Welfare Service Rules, 1963	21	sub-rule (4) of rule 24A
27.	The Rajasthan Medical and Health Service Rules, 1963	21	sub-rule (4) of rule 24A
28.	The Rajasthan Public Relations Service Rules, 1966	21	sub-rule (4) of rule 25
29.	The Rajasthan Town Planning Service Rules, 1966	21	sub-rule (4) of rule 25
30.	The Rajasthan Oriental Research Institute Service Rules, 1967	21	sub-rule (4) of rule 25
31.	The Rajasthan Excise (Preventive Officers) Service Rules, 1967	-	sub-rule (4) of rule 17

32.	The Rajasthan Service of Engineers and Allied Posts (Public Health Branch) Rules, 1968	21	sub-rule (4) of rule 25
33.	The Rajasthan Ground Water Service Rules, 1969	21	sub-rule (4) of rule 25
34.	The Rajasthan Commercial Taxes Service Rules, 1971	15A	sub-rule (4) of rule 18
35.	The Rajasthan Architectural Service (P.W.D. & B & R) Rules, 1973	21	sub-rule (4) of rule 25
36.	The Rajasthan Ayurvedic, Unani, Homoeopathy and Naturopathy Service Rules, 1973	21	sub-rule (4) of rule 25
37.	The Rajasthan Excise Service (General Branch) Rules, 1974	-	sub-rule (4) of rule 11A
38.	The Rajasthan Technical Training Service Rules, 1975	21	sub-rule (4) of rule 24A
39.	The Rajasthan Archives Service Rules, 1975	21	sub-rule (4) of rule 24A
40.	The Rajasthan Engineering Service (Electrical Inspectorate Branch) Rules, 1975	21	sub-rule (4) of rule 24A
41.	The Rajasthan Food and Civil Supplies Service Rules, 1976	21	sub-rule (4) of rule 23A
42.	The Rajasthan Tourism Service Rules, 1976	21	sub-rule (4) of rule 23A
43.	The Rajasthan Home Guards and Civil Defence Service Rules, 1976	21	sub-rule (4) of rule 23A
44.	The Rajasthan Prosecution Service Rules, 1978	-	sub-rule (4) of rule 9
45.	The Rajasthan Evaluation Service Rules, 1979	22	sub-rule (4) of rule 24
46.	The Rajasthan Forensic Science Service Rules, 1979	22	sub-rule (4) of rule 24
47.	The Rajasthan State Enterprises Service Rules, 1979	22	sub-rule (4) of rule 24
48.	The Rajasthan Transport Service Rules, 1979	22	sub-rule (4) of rule 24
49.	The Rajasthan Librarians and Physical Training Instructors Service (Collegiate Branch) Rules, 1980	-	sub-rule (4) of rule 9
50.	The Rajasthan District Gazetteers Service Rules, 1980	22	sub-rule (4) of rule 24
51.	The Rajasthan State Agricultural Marketing Service Rules, 1986	22	sub-rule (4) of rule 24

52.	The Rajasthan Educational Service (Collegiate Branch) Rules, 1986	21	sub-rule (1A) of rule 26
53.	The Rajasthan State Institute of Public Administration Service Rules, 1990	-	sub-rule (4) of rule 9
54.	The Rajasthan Rural Development State Service Rules, 2007	24	sub-rule (4) of rule 27
55.	The Rajasthan Rural Ayurvedic, Unani, Homeopathy & Naturopathy Service Rules, 2008	19	-
56.	The Rajasthan Technical Education (Engineering) Service Rules, 2010	26	sub-rule (4) of rule 29
57.	The Rajasthan Technical Education (Non-Engineering) Service Rules, 2010	25	sub-rule (4) of rule 28
58.	The Rajasthan Civil Aviation State Service Rules, 2013	26	sub-rule (4) of rule 28
59.	The Rajasthan Sanskrit (Collegiate Branch) Service Rules, 2022	27	sub-rule (4) of rule 33
60.	The Rajasthan Legal State and Subordinate Service Rules, 1981	26	sub-rule (4) of rule 28
61.	The Rajasthan Vidhi Rachna State and Subordinate Service Rules, 1981	26	sub-rule (4) of rule 28
62.	The Rajasthan Computer State and Subordinate Service Rules, 1992	27	sub-rule (4) of rule 30
63.	The Rajasthan Secretariat Librarian State and Subordinate Service Rules, 1997	23	sub-rule (4) of rule 26
64.	The Rajasthan Rural Development and Panchayati Raj State and Subordinate Service Rules, 1998	25	sub-rule (4) of rule 28
65.	The Rajasthan Integrated Child Development State and Subordinate Service Rules, 1998	25	sub-rule (4) of rule 28
66.	The Rajasthan Devasthan State and Subordinate Service Rules, 2000	25	sub-rule (4) of rule 28
67.	The Rajasthan Tribal Area Development State and Subordinate Service Rules, 2001	25	sub-rule (3)(II) of rule 28
68.	The Rajasthan Petroleum State and Subordinate Service Rules, 2012	27	sub-rule (4) of rule 30
69.	The Rajasthan Fisheries State and Subordinate Service Rules, 2012	27	sub-rule (4) of rule 30
70.	The Rajasthan Language and Library(State and Subordinate) Service Rules, 2013	27	sub-rule (4) of rule 30
71.	The Rajasthan Sanskrit Education State and Subordinate	28	sub-rule (4)

	Service (School Branch) Rules, 2015		of rule 31
72.	The Rajasthan Excise Laboratory (State and Subordinate) Service Rules, 2015	27	sub-rule (4) of rule 30
73.	The Rajasthan Women Empowerment (State and Subordinate) Service Rules, 2017	29	sub-rule (4) of rule 32
74.	The Rajasthan Minority Affairs (State and Subordinate) Service Rules, 2017	30	sub-rule (4) of rule 33
75.	The Rajasthan Bio-fuel (State and Subordinate) Service Rules, 2019	28	sub-rule (4) of rule 31
76.	The Rajasthan Circuit Houses (State and Subordinate) Service Rules, 2019	29	sub-rule (4) of rule 32
77.	The Rajasthan Science and Technology (State and Subordinate) Service Rules, 2021	29	sub-rule (4) of rule 32
78.	The Rajasthan Educational (State and Subordinate) Service Rules, 2021	29	sub-rule (4) of rule 32
79.	The Rajasthan Subordinate Cooperative Service (Class-I) rules, 1955	24A	sub-rule (4) of rule 27A
80.	The Rajasthan Subordinate Cooperative Service (Class-II) Rules, 1955	23A	-
81.	The Rajasthan Tehsildars Service Rules, 1956	24D	sub-rule (4) of rule 28A
82.	The Rajasthan Mines and Geological Subordinate Service Rules, 1960	21	sub-rule (4) of rule 24A
83.	The Rajasthan Subordinate Accounts Service Rules, 1963	25	sub-rule (4) of rule 28A
84.	The Rajasthan Social Welfare Subordinate Service Rules, 1963	21	sub-rule (4) of rule 24A
85.	The Rajasthan Transport Subordinate Service Rules, 1963	21	sub-rule (4) of rule 24A
86.	The Rajasthan Horticulture Subordinate Service Rules, 1965	21	sub-rule (4) of rule 24A
87.	The Rajasthan Medical and Health Subordinate Service Rules, 1965	21	sub-rule (4) of rule 24A
88.	The Rajasthan Ayurvedic, Unani, Homoeopathy and Naturopathy Subordinate Service Rules, 1966	21	sub-rule (4) of rule 25
89.	The Rajasthan Industries Subordinate Service Rules, 1966	21	sub-rule (4) of rule 25
90.	The Rajasthan Engineering Subordinate Service (Public Health Branch) Rules, 1967	21	sub-rule (4) of rule 25
91.	The Rajasthan Engineering Subordinate Service	21	sub-rule (4)

	(Irrigation Branch) Rules, 1967		of rule 25
92.	The Rajasthan Archives Subordinate Service Rules, 1968	21	sub-rule (4) of rule 25
93.	The Rajasthan Statistical Subordinate Service Rules, 1971	21	sub-rule (4) of rule 25
94.	The Rajasthan Government Presses Subordinate Service Rules, 1973	21	sub-rule (4) of rule 24A
95.	The Rajasthan Technical Education Subordinate Service Rules, 1973	21	sub-rule (4) of rule 24A
96.	The Rajasthan Subordinate Engineering (B & R Branch) Service Rules, 1973	21	sub-rule (4) of rule 24A
97.	The Rajasthan Ground Water Subordinate Service Rules, 1973	21	sub-rule (4) of rule 24A
98.	The Rajasthan Town Planning Subordinate Service Rules, 1974	21	sub-rule (4) of rule 24A
99.	The Rajasthan Food and Civil Supplies Subordinate Service Rules, 1974	21	sub-rule (4) of rule 24A
100.	The Rajasthan Excise Subordinate Service (General Branch) Rules, 1974	21	sub-rule (4) of rule 24A
101.	The Rajasthan Technical Training Subordinate Service Rules, 1975	21	sub-rule (4) of rule 24A
102.	The Rajasthan Commercial Taxes Subordinate Service (General Branch) Rules, 1975	21	sub-rule (4) of rule 24A
103.	The Rajasthan Public Relations Subordinate Service Rules, 1975	21	sub-rule (4) of rule 24A
104.	The Rajasthan Revenue Accounts Subordinate Service Rules, 1975	25	sub-rule (4) of rule 28A
105.	The Rajasthan Excise Subordinate Service (Preventive Branch) Rules, 1976	21	sub-rule (4) of rule 23A
106.	The Rajasthan State Enterprises Subordinate Service Rules, 1976	21	sub-rule (4) of rule 23A
107.	The Rajasthan Animal Husbandry Subordinate Service Rules, 1977	21	sub-rule (4) of rule 23A
108.	The Rajasthan Agriculture Subordinate Service Rules, 1978	22	sub-rule (4) of rule 24

109.	The Rajasthan Prosecution Subordinate Service Rules, 1978	17	-
110.	The Rajasthan Motor Garage Subordinate Service Rules, 1979	22	sub-rule (4) of rule 24
111.	The Rajasthan Education Subordinate Service (Collegiate Branch) Rules, 1979	22	sub-rule (4) of rule 24
112.	The Rajasthan Forensic Science Subordinate Service Rules, 1980	22	sub-rule (4) of rule 24
113.	The Rajasthan Police Subordinate Service Rules, 1989	24	sub-rule (1A) of rule 26
114.	The Rajasthan Jails Subordinate Service Rules, 1998	33	sub-rule (1A) of rule 35
115.	The Rajasthan Subordinate Service (Recruitment and other Service Conditions) Rules, 2001	32	sub-rule (4) of rule 35
116.	The Rajasthan Rural Ayurvedic, Unani, Homeopathy & Naturopathy Subordinate Service Rules, 2008	19	sub-rule (4) of rule 29
117.	The Rajasthan Madarsa Education Assistant Subordinate Service Rules, 2013	27	-
118.	The Rajasthan Scheduled Area Subordinate Ministerial and Class IV (Recruitment and other Service Conditions) Rules, 2014	26	sub-rule (4) of rule 29
119.	The Rajasthan Vidhyalay Sahayak Subordinate Service Rules, 2015	27	-
120.	The Rajasthan Engineering Subordinate Service (Electrical Inspectorate Branch) Rules, 2020	29	-
121.	The Rajasthan Forest Subordinate Service Rules, 2015	33	sub-rule (4) of rule 37
122.	The Rajasthan Home Guards Subordinate Service Rules, 2021	31	sub-rule (4) of rule 33
123.	The Rajasthan Secretariat Ministerial Service Rules, 1970	15	sub-rule (4) of rule 26
124.	The Rajasthan Subordinate Offices Ministerial Service Rules, 1999	31	sub-rule (4) of rule 33
125.	The Rajasthan Class IV Service(Recruitment and other service Conditions) Rules, 1999	19	sub-rule (4) of rule 26

[No. F. 7(1) DOP/A-II/95/Pt.]
By order and in the name of the Governor,
RAM NIWAS MEHTA,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 16, 2023

जी.एस.आर.145 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 के खण्ड (ख) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, इससे संलग्न अनुसूची में यथोल्लिखित विभिन्न सेवा नियमों और विनियमों को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम और विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों और विनियमों का नाम राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. संशोधन.- (1) इससे संलग्न अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 2 में यथोल्लिखित प्रत्येक सेवा नियमों के सामने स्तंभ संख्यांक 3 में यथोल्लिखित नियमों और विनियमों के, दो से अधिक संतानों वाले व्यक्ति की नियुक्ति के लिए निरर्हता से संबंधित, विद्यमान परन्तुकों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु,-

(i) दो से अधिक संतानों वाला अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोतरी नहीं होती है।

(ii) जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है किन्तु पश्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।

(iii) किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो।

(iv) कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरूद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं है, उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।

(v) इस उप-नियम के उपबंध किसी विधवा और विच्छिन्न-विवाह महिलाओं की नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।"

(2) इससे संलग्न अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 2 में यथोल्लिखित प्रत्येक सेवा नियमों के सामने स्तंभ संख्यांक 4 में यथोल्लिखित नियम के विद्यमान उपबंध "ऐसे किसी भी व्यक्ति की पदोन्नति पर उस तारीख से, जिसको उसकी पदोन्नति देय हो जाती है, तीन भर्ती वर्षों तक विचार नहीं किया जायेगा, यदि उसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों।" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"ऐसा व्यक्ति, जिसकी पदोन्नति पर वर्ष 2019-20 तक विचार नहीं किया गया था क्योंकि उसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें थीं, की पदोन्नति के लिए उस

तारीख से, जिसको उसकी पदोन्नति देय हो गयी थी, विचार किया जायेगा और उसका वेतन ऐसी पदोन्नति पर, उस वेतन पर जिसे वह आहरित करता/करती पर पुनः नियत किया जायेगा, किंतु कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा और यदि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों, और उसकी पदोन्नति वर्ष 2020-21 में या उसके पश्चात् देय हो जाती है, की पदोन्नति पर उस तारीख से, जिसको उसकी पदोन्नति देय हो जाती है, विचार किया जायेगा और उसका वेतन पदोन्नति संबंधी पद के लिए नियत किया जायेगा किंतु वह तीन पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु, काल्पनिक रूप से हकदार होगा/होगी और ऐसे तीन वर्षों के पश्चात् उसे ऐसी वेतनवृद्धियों के वास्तविक फायदे अनुज्ञेय होंगे, तथापि, ऐसी काल्पनिक वेतनवृद्धियों के लिए कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा। इस उप-नियम के उपबंधों के अनुसार पदोन्नत व्यक्ति की पश्चात्वर्ती पदोन्नतियों पर कोई पारिणामिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले से ही पदोन्नत व्यक्ति को, इस उप-नियम के क्रियान्वयन के कारण प्रतिवर्तित नहीं किया जायेगा:"

अनुसूची

क्र.सं.	सेवा नियमों का नाम	विद्यमान नियम का संख्यांक	विद्यमान नियम का संख्यांक
1	2	3	4
1.	राजस्थान लोक सेवा आयोग (राजपत्रित स्टाफ) नियम और विनियम, 1991	-	नियम और विनियम 12 का उप-नियम(1क)
2.	राजस्थान लोक सेवा आयोग (लिपिकवर्गीय तथा अधीनस्थ स्टाफ) नियम और विनियम, 1999	29	नियम और विनियम 33 का उप-नियम(1क)

[सं. एफ. 7(1)कार्मिक/क-2/95/पार्ट]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

रामनिवास मेहता,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL

A-Gr. II

NOTIFICATION

Jaipur, March 16, 2023

G.S.R.145 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 read with clause (b) of Article 318 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules and regulations further to amend the Various Service Rules and Regulations as mentioned in the Schedule appended hereto, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules and regulations may be called the Rajasthan Various Service (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. Amendment.- (1) The existing provisos to rules and regulations relating to Disqualification for appointment of person having more than two children as mentioned in column number 3 against each of the service rules as mentioned in column number 2 of the Schedule appended hereto shall be substituted by the following, namely:-

"Provided that,-

(i) the candidate having more than two children shall not be deemed to be disqualified for appointment so long as the number of children he/she has on 1st June, 2002, does not increase.

(ii) where a candidate has only one child from earlier delivery but more than one child are born out of a single subsequent delivery, the children so born shall be deemed to be one entity while counting the total number of children.

(iii) while counting the total number of children of a candidate, the child born from earlier delivery and having disability shall not be counted.

(iv) any candidate who performed remarriage which is not against any law and before such the remarriage he is not disqualified for appointment under this sub-rule, he shall not be disqualified if any child is born out of single delivery from such remarriage.

(v) the provisions of this sub-rule shall not be applicable to the appointment of a widow and divorcee women."

(2) The existing provision of rule and regulations as mentioned in column number 4 against each of the service rules as mentioned in column number 2 of the Schedule appended hereto:-

"No person shall be considered for promotion for three recruitment years from the date on which his/her promotion becomes due, if he/she has more than two children on or after 1st June, 2002."

shall be substituted by the following, namely:-

"The person who had not been considered for promotion upto the year 2019-2020 because he/she had more than two children on or after 1st June 2002 shall be considered for promotion from the date on which his/her promotion was due and on such promotion his/her pay shall be refixed at the pay which he/she would have drawn but no arrear shall be paid and if any person who has more than two children on or after 1st June ,2002 and his promotion becomes due in the year 2020-2021 or thereafter shall be considered for promotion from the date on which his/her promotion becomes due and his/her pay shall be fixed for the promotional post, but he /she shall be entitled for annual increment notionally for three subsequent years and after such three years he/she shall be allowed actual benefits of such increments, however no arrears shall be paid for such notional increments. There shall be no consequential effect on subsequent promotions of the person promoted as per provisions of

this sub-rule. The person already promoted shall not be reverted due to implementation of this sub-rule:”

SCHEDULE

S. No.	**Name of Service Rules**	**Number of existing rules**	**Number of existing rules**
1	2	3	4
1.	The Rajasthan Public Service Commission (Gazetted Staff) Rules and Regulations, 1991	-	sub-rule (1A) of rule and regulation 12
2.	The Rajasthan Public Service Commission (Ministerial and Subordinate Staff) Rules and Regulations, 1999	29	sub-rule (1A) of rule and regulation 33

[No. F. 7(1) DOP/A-II/95/Pt.]
By order and in the name of the Governor,
RAM NIWAS MEHTA,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.